

प्रेषक,

संजीव मित्तल,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2020

विषय: समूह 'घ' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-297/दस-913-92 दिनांक 26-05-1993 द्वारा राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय को छोड़कर) के सेवानैवृत्तिक लाभों एवं उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का कार्य निदेशक पेंशन/मुख्य लेखाधिकारियों से लेकर कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किया गया। शासनादेश संख्या-सा-3-697/दस-26/98 दिनांक 08-10-1999 द्वारा समूह 'ख' एवं 'ग' के कर्मिकों की पेंशन स्वीकृत किये जाने का कार्य मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन (सम्प्रति मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन) को दिनांक 01-04-2000 से सौंपा गया। समूह 'क' के अधिकारियों के पेंशन भुगतान आदेश निर्गत किये जाने का कार्य कार्यालय जाप संख्या-सा-3-893/दस-88-912-85, दिनांक 02 जून, 1988 द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 1988 से गठित पेंशन निदेशालय द्वारा पूर्ववत किया जाता रहा। दिनांक 01-04-2016 से समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के कर्मिकों की पेंशन "ई-पेंशन पोर्टल" के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत की जा रही है। समूह 'घ' के कर्मचारियों की पेंशन अभी भी कार्यालयाध्यक्षों द्वारा मैन्युअल रूप से ही स्वीकृत की जा रही है।

2- निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या-3851/पे0नि0/ई-पेंशन/च0श्रे0पे0 दिनांक 30-04-2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के समूह 'घ' के कर्मिकों के पेंशन प्राधिकार पत्र कार्यालयाध्यक्षों द्वारा मैन्युअल रूप से स्वीकृत किये जाने एवं अधिकांश कार्यालयों में वित्तीय नियमों के जानकार वित्त सेवा के अधिकारी अथवा लेखा कर्मिकों की तैनाती नहीं होने के कारण पेंशन प्रकरणों का सम्यक् परीक्षण नहीं हो पाने से कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किये जा रहे इस कार्य में कमियां दृष्टिगोचर होती हैं एवं वित्तीय अनियमितता की संभावना भी बनी रहती है। उपर्युक्त कारणों से निदेशक, पेंशन द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि समूह 'घ' के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतानादेश निर्गत किये जाने का कार्य कार्यालयाध्यक्षों के स्थान पर मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों को प्रतिनिधानित कर दिया जाये ताकि इस श्रेणी के कर्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण भी 'ई-पेंशन पोर्टल' के माध्यम से किया जा सके।

3- उपर्युक्त के सन्दर्भ में सम्यक् परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया है कि समूह 'घ' के कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति की वर्तमान व्यवस्था में पेंशन प्रपत्र तैयार करने तथा पेंशन भुगतानादेश निर्गत किये जाने सम्बन्धी दोनों कार्य कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर ही होने से इस प्रक्रिया में प्रतिपरीक्षण का

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अभाव है। यह व्यवस्था मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों के गठन के पूर्व की है। इस व्यवस्था में "ई-पेंशन पोर्टल" का उपयोग नहीं होने से प्रकरणों को सम्यक ढंग से निष्पादित करने में असुविधा है साथ ही त्रुटि की संभावना भी बनी रहती है।

4- अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समूह 'घ' के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतानादेश निर्गत किये जाने का कार्य कार्यालयाध्यक्षों के स्थान पर मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों को प्रतिनिधानित कर दिया जाए। इस हेतु कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेश संख्या-9-सा-3-850/दस-2014-301(18)/2013 दिनांक 18-09-2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली "ई-पेंशन सिस्टम" द्वारा पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण संबंधित मण्डल के अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालय को किया जायेगा। अपर निदेशक कार्यालय द्वारा पेंशन प्रपत्रों का परीक्षण कर पेंशन, कम्प्यूटेशन तथा ग्रेच्युटी भुगतानादेश उस कोषागार के लिये निर्गत किये जायेंगे जहाँ से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प संबंधित कर्मचारी द्वारा दिया गया हो।

5- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा ऐसे प्रकरण, जिनमें कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पूर्व में सेवानिवृत्त हुआ हो परन्तु उसका पेंशन भुगतानादेश इस शासनादेश के निर्गत होने तक जारी न किया गया हो, भी इस आदेश से आच्छादित होंगे।

6- राज्य सरकार के समूह 'घ' के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से अवक्रमित समझे जायेंगे। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-10/2020/सा-3-221(1)/दस-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा), प्रथम एवं द्वितीय, महालेखाकार (आडिट) इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।
- 5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 6- प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।
- 7- समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 10- रेजीडेंट कमिश्नर /पे एण्ड एकाउन्ट आफिस, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।